भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1127
उत्तर देने की तारीख 5 दिसम्बर, 2024

स्वदेशी कॉलर आईडी प्रणाली

1127. श्री एस. निरंजन रेड्डीः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने स्पैम से निपटने के लिए कॉल करने वालों के नाम प्रदर्शित करने वाली एक नई कॉलर आईडी सेवा का प्रस्ताव दिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) भारत में सभी दूरसंचार ऑपरेटरों द्वारा कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन (सीएनएपी) लागू करने की समय-सीमा क्या है;

(ग) देशभर में सीएनएपी को लागू करने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) सरकार सीएनएपी या किसी विकल्प के प्रभावी राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए दूरसंचार ऑपरेटरों के साथ किस प्रकार तालमेल करने की योजना बना रही है; और

(ङ) क्या सरकार ने भारती एयरटेल की एआई-संचालित स्पैम पहचान प्रणाली का मूल्यांकन किया है या कॉलर पहचान सेवाओं को बढ़ाने के लिए एआई-आधारित स्पैम पहचान जैसे उन्नत समाधानों को अनिवार्य करने की योजना बनाई है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) से (घ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की "दूरसंचार नेटवर्क में कालिंग नेम प्रेजेंटेशन (सीएनएपी) का प्रारंभ" विषय पर अनुशंसाएं दिनांक 23.02.2024 को प्राप्त हुई

हैं जिनमें ट्राई ने यह अनुशंसा की है कि भारतीय दूरसंचार नेटवर्क में अखिल-भारत आधार पर सीएनएपी के कार्यान्वयन से पहले एक अनुज्ञप्ति सेवा क्षेत्र (एलएसए) में सीएनएपी सेवा के कार्यान्वयन का परीक्षण और आकलन करना होगा। सरकार ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा सीएनएपी सेवा के कार्यान्वयन का परीक्षण और आकलन शुरू किए जाने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं।

(ङ) ऐसी किसी योजना पर विचार नहीं किया जा रहा है।

****